

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 60844/4 / पटना, दिनांक :- 14/08/2026
ग्रा०वि०-R-504/22/2026-Section-14-RDD-RDD(COM No-612574)

श्री राज कुमार चौधरी (अनुक्रमांक-137909), प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णिमा) के विरुद्ध दिनांक-16.07.2026 को विशेष निगरानी दल, पटना द्वारा हिरासत में लिये जाने की सूचना जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1279 दिनांक-20.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में श्री चौधरी को निलंबन संबंधी अनुशंसा की गयी है।

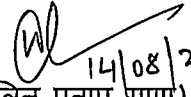
श्री राज कुमार चौधरी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं।

श्री राज कुमार चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में हिरासत की तिथि 16.07.2026 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में श्री राज कुमार चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 60844/4 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 14/08/2026

निबंधित/
ई-मेल/
हाथोंहाथ

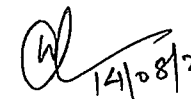
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिमा/वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्णिमा/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक:- 60844/4 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक :- 14/08/2026

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रासंगिक आदेश का तामिला श्री राज कुमार चौधरी को अपने स्तर से कराते हुए तामिला प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


विशेष कार्य पदाधिकारी।